

148

477 108

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(i) *dt. 13.12.78*

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th December, 1978

NOTIFICATION

G.S.R. 36 .- In exercise of the power conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1973 (Punjab Act 29 of 1973), subject to the following modification, namely :-

Modification

In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

[No.U-11015/8/78-UTL(148)]

H.C. BAKSHI
(H.C. BAKSHI)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

478

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 26 दिसम्बर, 1978

अधिसूचना

सा०का०नि० केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 [1966 का 31] की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स [सेकेंड अमेण्डमेंट] एक्ट, 1973 [1973 का पंजाब अधिनियम 29] का विस्तार, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर करती है, अर्थात् :-

उपान्तरण

धारा 2 में, "पंजाब जनरल सेल्स टैक्स, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948" शब्द और अंक रखी जाएंगे।

सं० घृ-11015/8/78-घृ०टी०एल० 148

हरिशा चन्द्र बरुशी

हरिशा चन्द्र बरुशी

अवर सचिव, भारत सरकार